प्रेस नोट दिनाँक-30.10.2022

(1). दिनाँक-30.10.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में क्षेत्राधिकारीगण के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया।

(2). आज दिनांक 30.10.2022 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में महिलाओं एवं बालिकाओं में सुरक्षा एवं विश्वास का वातावरण बनाये रखने के उद्देश्य से चलाये जा रहे अभियान "मिशन शक्ति" के तहत जनपद के विभिन्न थानों की एण्टी रोमियो टीमों ने विभिन्न मन्दिरों, बाजार, स्कूलों, बस स्टैण्ड, ग्रामों इत्यादि स्थानों पर भ्रमण कर चेकिंग की गयी एवं छात्राओं/महिलाओं को उनके सुरक्षार्थ व सहायता हेतु शासन द्वारा चलायी जा रही विभिन्न हेल्पलाइन नम्बरों जैसेः- 1090-वीमेन पॉवर लाइन, 181-महिला हेल्प लाइन, 108-एम्बुलेंस सेवा, 1076-मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112-पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098-चाइल्ड लाइन्न, 102-स्वास्थ्य सेवा तथा थानो पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क के बारे में विस्तार से जानकारी देकर उन्हे जागरूक किया गया तथा महिलाओं/बालिकाओं को।जागरूकता पम्पलेट्स वितरित किये गए एवं सार्वजनिक स्थानों एवं चस्पा किये गए।

(3). आज दिनांक 30.10.2022 श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के कुशल निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थानाध्यक्ष्र रैपुरा श्री राकेश मौर्या के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री रमेश सिंह यादव तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त सुखलाल पुत्र गंगाप्रसाद निवासी गढ़ीकलां मजरा पड़री थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना रैपुरा में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 श्री रमेश सिंह यादव थाना रैपुरा
2. आरक्षी राममूरत मिश्रा

(4). आज दिनांक 30.10.2022 श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अतुल शर्मा के निर्देशन में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना रैपुरा श्री राकेश मौर्या के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री चुन्नी लाल वर्मा तथा उनके हमराही द्वारा मु0अ0सं0 170/22 धारा 498(क)/304(ख) व धारा 03/04 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के वांछित अभियुक्त विजय यादव पुत्र अशोक यादव निवासी इमरती पुरवा मज़रा इटवा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री चुन्नी लाल वर्मा थाना रैपुरा
2. आरक्षी नंदराम